मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
Chief Electoral Officer, Uttarakhand

विश्वकर्मा भवन प्रथम तल, सचिवालय परिसर देहरादून 248001

प्रेस नोट 2025/03

उत्तराखण्ड दौरे पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त डॉ एस.एस. सन्धु

- – निर्वाचन आयुक्त ने समीक्षा बैठक में दिये विस्तृत निर्देश
- – मतदाताओं की सुविधा हेतु सभी आवश्यक प्रयास किए जाएं– निर्वाचन आयुक्त
- – निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी प्रावधानों की हो समुचित जानकारी – निर्वाचन आयुक्त

देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त डॉ एस.एस. सन्धु के देहरादून आगमन पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बी वी आर सी पुरुषोत्तम ने निर्वाचन आयुक्त का स्वागत किया। इस अवसर पर निर्वाचन आयुक्त डा. सन्धु ने प्रदेश में संचालित निर्वाचन संबंधी विभिन्न गतिविधियों के बारे में एक समीक्षा बैठक में विस्तार पूर्वक जानकारी ली। चुनाव आयुक्त डा. सन्धु द्वारा अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखण्ड राज्य में सर्विस मतदाताओं के प्रतिशत, राजनैतिक दलों के साथ डीईओ/ईआरओ/सीईओ स्तर पर आहूत बैठक में प्राप्त बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में सभी स्तरों पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठक सम्पादित हो चुकी हैं जिसके सापेक्ष ईआरओ स्तर पर राजनैतिक दलों के 386 डीईओ स्तर पर–69 तथा सीईओ स्तर पर 6 प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। डा. पुरूषोत्तम द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि राज्य स्तर पर दिनांक 29 मार्च, 2025 को भी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठक निर्धारित की गयी है।

मु.नि.अ. द्वारा डीईओ/ईआरओ स्तर पर राजनैतिक दलों के साथ सम्पन्न हुई बैठकों में प्राप्त सुझावों पर विस्तार से मा. चुनाव आयुक्त को अवगत कराया गया। मा. चुनाव आयुक्त द्वारा राजनैतिक दलों से प्राप्त सुझावों को गम्भीरता से लेते हुए आयोग के तद् विषयक दिशा–निर्देशों एवं प्राविधानों के अनुसार इनका प्राथमिकता से निस्तारण किए जाने हेतु निर्देश निर्गत किए गए।

मा. चुनाव आयुक्त द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि मतदेय स्थल तक मतदाताओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं की सुविधा हेतु सभी आवश्यक प्रयास सुनिश्चित किए जाने चाहिए। सीईओ को यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए कि, निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों, यथा डीईओ, ईआरओ, आरओ, एआरओ तथा बीएलओ आदि को निर्वाचन संबंधी नियमों, अधिनियमों, प्राविधानों, एवं कानून की समुचित जानकारी होनी चाहिए।

इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदण्डे, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री किशन सिंह नेगी, श्रीमती मुक्ता मिश्र, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तूदास,अनुभाग अधिकारी बसंत रावत उपस्थित रहे।

....